न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पचपदरा

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नबर 20 / 12

बनाम

1. श्रीमति बबलूदेवी पत्नि अशोककुमार जाति खारवाल निवासी नई कोलोनी मण्डापुरा तहसील पचपदरा	1. धींगडमल पुत्र गेनाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा सिटी तहसील पचपदरा 2. श्रीमान राजस्थान राज्य सरकार तहसीलदारजी पचपदरा 3. मंजूदेवी पत्नी राजेश कुमार बागरेचा निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 रा0 का0 अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 21.05.2018

प्रार्थीनी के पिता विप्रार्थी स. 1 के नाम से संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 3 बीघा खसरा नम्बर 188 रकबा 7 बीघा 13 विस्वा खसरा नम्बर 195 रकबा 12 बीघा खसरा नम्बर 196 रकबा 1.11 बीघा खसरा नम्बर 380 रकबा 2.00 बीघा खसरा नम्बर 385 रकबा11.15 बीघा कुल रकबा 37.19 बीघा सरहद मौजा मण्डापुरा मे अवस्थित है। जो विप्रार्थी स. 1 के पुसतैनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि अवस्थित है।

विप्रार्थी 1 स्वर्गीय गेनाराम के पुत्र है। जिसकी पैतृक वादग्रस्त आराजी मे 1/4 के हिस्सेदार है। जिसमे प्रार्थीनी 1/8 हिस्से की हिस्सेदारी है। वादग्रस्त आराजी के रकबा 1 बीघ 4 विस्वा की प्रार्थीनी पैतृक सम्पति की खातेदार घोषित होने की हकदार है। जिससे प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीनी के पक्ष मे है

अतः प्रार्थीनी के हक हिस्सा व कब्जा कास्त मे विप्रार्थी सं. 1 स्वयं उसके मजदूर ऐजेन्ट रिश्तेदार या अन्य किसी सहयोगीयो से किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे । इस अमर की अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी फरमावे।

विप्रार्थी सं. 1 ने जवाब पेश कर प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र व दस्तावेज का अवलोकन किया व ध्यान पुर्वक मनन किया दोनो पक्ष को सुना गया। राजस्व लोक अदालत की भावना से मजमे आम मे पुछताछ कर चर्चा की गई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीनी के पक्ष मे होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विप्रार्थी सं. 1 के विरूध्द इस आश्य की अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है। कि प्रार्थीनी के हक हिस्से कब्जा काश्त मे विप्रार्थी सं. 1 स्वयं उसके मजदूर ऐजेन्ट रिश्तेदार या अन्य किसी सहयोगीयो से किसी प्रकार की दखलंदाजी मूल वाद के निर्णय तक नही करे ।

निर्णय आज दिनांक 21.5.18 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट पचपदरा मे खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)

सहायक कलक्टर,

पीठासीन अधिकारी (एस.डी.ओ.) लोक अदालत कैम्प- 2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा कैम्प

Scanned by CamScanner